न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—165/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/165)

1. श्रीमती मूमल पत्नि स्व0 श्री लाल मोहम्मद (अब मृतका)
2. श्री अशरफ पुत्र स्व0 श्री लाल मोहम्मद आयु 59 वर्ष
   समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम माण्डेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
3. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व0 श्री लाल मोहम्मद पत्नि श्री अल्लाबक्स
4. श्रीमती सकीना पुत्री स्व0 श्री लाल मोहम्मद पत्नि श्री नजीर
   समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम जगमालपुरा, तहसील रायपुर, जिला पाली।

अपीलांट्स

बनाम

1. मुसमात हाजरा बेवा श्री लाडू (मृतक दिनांक 15.6.2023)
2. श्री इस्माइल पुत्र स्व0 श्री लाडू आयु 63 वर्ष
3. श्री मिश्रु पुत्र स्व0 श्री लाडू
4. श्री अहमदु पुत्र स्व0 श्री लाडू
   समस्त जाति मेरात निवासी गांव माण्डेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

5. श्री अकबर पुत्र स्व0 श्री लाल मोहम्मद आयु 62 वर्ष जाति मेहरात निवासी ग्राम माण्डेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा/रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.04.2022 राजस्व वाद संख्या 18/2016(2016/00009).

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री धर्मेन्द्रसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4
3. रेस्पोडेंट संख्या 05 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 (2016/00009) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पत्रावली पर प्रस्तुत वास्ते दस्तावेजी सबूत एवं न्याय नियम व विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजीयात को जानबूझकर अनयत्र रहन व बेचान का इकरारनामा आदि निष्पादित करवाते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकार्ड की यथास्थिति नहीं बनाई रखी है। अतः अपील अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 (2016/00009) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि मुसमात पन्नी व अन्नी बेवा गुलाब जी कौम मेहरात निवासी गांव माण्डेडा, तहसील ब्यावर की अराजी कृषि भूमि खाता संख्या साबिक 75 व हाल खाता नंबर 173 व नया खाता नंबर 209 है उक्त खाता की अराजी कृषि भूमि के खसरा संख्या 309 है, उपरोक्त आराजी कृषि भूमि बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नंबर 48/04 बउनवानी श्रीमती मुमल बनाम श्रीमती हाजरा व अन्य है, जो कि हाल में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है (वर्तमान में उक्त प्रकरण के निर्णय/डिक्री के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है) एवं उक्त वाद के साथ प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है, जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुये दिनांक 29.07.2004 को उपरोक्त आराजी बाबत राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं विवादित आराजी को आगे रहन, बय, एवं मुन्तकिल नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण/गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया गया था। उपरोक्त के पश्चात् अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 309 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 23.01.2015 को आई.डी.बी.आई. बैंक, लिमिटेड, ब्यावर के यहां मुर्तहिन करवाते हुये उक्त अंकन राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन करवाया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 03.12.2013 को उक्त वादग्रस्त अराजी कृषि भूमि को श्री मोहनसिंह वल्द श्री हजारीसिंह, चौहान जाति रावत निवासी माण्डेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर को जरिए इकरारनामा के बएवज राशि 20,00,00/– रूपए अक्षरे दो लाख रूपए में बेचान किए जाने का इकरार किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण साक्ष्य प्रार्थीगण में नियत थी, एवं उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 23.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था, एवं उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के द्वारा दिनांक 19.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया व उसके पश्चात् लगातार उक्त प्रार्थना पत्र बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम हेतु नियत चलती रही व दिनांक 29.03.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारानो की ओर से बहस सुनी गई व उक्त प्रार्थना–पत्र के आदेश हेतु उक्त पत्रावली को दिनांक 19.04.2022 को नियत किया गया। दिनांक 19.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.04.2022 में भी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का आदेश ही अंकित किया है। उक्त आदेश मात्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम पर किया जाना था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के आदेश के साथ–साथ विधि की भूल करते हुये अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को ही अस्वीकार कर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया सहिता को खारिज कर देने बाबत अलग से किसी प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नही किया गया व ना ही ऐसी कोई प्रार्थना–पत्र ही रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था व ना ही उक्त प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई बहस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम जो कि मात्र द्वितीयक साक्ष्य हेतु पेश किया गया प्रार्थना पत्र था व उक्त प्रार्थना–पत्र पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बहस सुनी गई व उक्त प्रार्थना–पत्र पर ही आदेश पारित किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करते हुये मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को ही खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम को भी खारिज किया गया है, जबकि द्वितीयक साक्ष्य हेतु मूल दस्तावेज प्रार्थी के कब्जे में नहीं होने की स्थिति में उक्त दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक था व उक्त दस्तावेज उक्त प्रकरण के न्याय निर्णय हेतु अति आवश्यक दस्तावेज है। जो कि रिकार्ड पर लिया जाना भी अतिआवश्यक था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह भी माना है कि उक्त प्रकरण से संबंधित मूल वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय पूर्व में कर दिये जाने के कारण व इकरारनामा को रिकार्ड पर नहीं लेने के कारण मूल अवमानना याचिका को ही खारिज कर दिया है। जबकि उक्त प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रार्थीगण में नियत था व साक्ष्य प्रार्थीगण में प्रार्थी अशरफ के द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र भी दिनांक 09.01.2018 को पेश कर चुका है व उक्त गवाह से जिरह होनी शेष थी एवं उक्त प्रकरण में इकरारनामा की फोटो प्रति पेश की गई थी। जिसकी मूल प्रति के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम पर आदेश किया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ–साथ अवमानना याचिका की मूल प्रार्थना पत्र को ही खारिज कर दिया गया है। जबकि उक्त प्रकरण में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी पेश थी, उक्त जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टस के द्वारा वादग्रस्त भूमि को रहन रख दी गई। इस बाबत् नामान्तरकरण की कार्यवाही भी की गई है, के बावजूद प्रकरण में बिना साक्ष्य लिये ही प्रकरण को खारिज कर दिया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 (2016/00009) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अप्रार्थिया संख्या 2 के द्वारा तथाकथित इकरारनामा दिनांक 03.12.2013 को निष्पादित ही नहीं करवाया गया है व ना ही उक्त इकरारनामे की फोटो प्रति प्रार्थीगण को दी गई है, तथाकथित इकरारनामा फर्जी व बनावटी है, एवं उक्त तथाकथित इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे में नही है। जब असल दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 के कब्ज में नहीं है जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा असल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किये जा सकते है तथा इकरारनामा की फोटो प्रति जो द्वितीय साक्ष्य के रूप मे स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त दस्तावेज की फोटो प्रति काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः उक्त फोटो प्रति किसी भी प्रकार से द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी यह स्पष्ट है कि जब यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम स्वीकार नहीं किया गया है तो इस अवमानना प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मूल आधार दस्तावेज तथा कथित इकरारनामा के आधार पर न्यायालय के आदेश की अवमानना साबित होना नहीं पाया जाता है। तथाकथित इकरारनामें में वर्णित तथ्यों व तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट की अवमानना के तथ्यों को साबित नहीं करते है तथा मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का भी निर्णय इस न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 व्यवहार संहिता स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी, ब्यावर

Scanned with CamScanner

अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक दिनांक 24.6.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात पत्रावली आगामी तारीख पेशी में नियत चलती रही। दिनांक 29.3.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम पर उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19.04.2022 को नियत की गई। दिनांक 19.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम को स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। हमारे द्वारा अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ब्यावर से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट क्रमांक/भूअ/2017/656 दिनांक 6.2.2017 में यह पाया गया कि ग्राम माण्डेडा की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 309 रकबा 01–12–00 का वर्तमान मौके की जांच ग्रामवासियों के समक्ष की गई, वक्त जांच खसरा नम्बर 309 का आंशिक हिस्सा रिक्त पाया गया व शेष हिससे में गेंहू व सब्जी काश्त है जिसे ईस्माईल, मिश्रु, अहमद पि0 लाडू जाति मेरात निवासी माण्डेडा द्वारा काश्त करना बताया है। जब कि अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 309 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 23.01.2015 को आई.डी.बी.आई. बैंक, लिमिटेड, ब्यावर के यहां मुर्तहिन करवाते हुये उक्त अंकन राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन करवाया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 03.12.2013 को उक्त वादग्रस्त अराजी कृषि भूमि को श्री मोहनसिंह वल्द श्री हजारीसिंह, चौहान जाति रावत निवासी माण्डेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर को जरिए इकरारनामा के बएवज राशि 20,00,00/– रूपए अक्षरे दो लाख रूपए में बेचान किए जाने का इकरार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.4.2022 को पारित आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 में उक्त इकरारनामे की फोटो प्रति होना अंकित करते हुए फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है जो कि विधि सम्मत है तथा इसके अतिरिक्त उक्त इकरारनामा दो पक्षों के बीच नियम शर्त एवं हक अधिकार हेतु किया गया। जिसकी वैधता/अवैधता को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को इकरारनामे की वैधता/अवैधता को विनिश्चित किए जाने का किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 (2016/00009) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामधन) अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

29/11/2024
(रामधन) अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner